कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, बदायूं

पत्रांक :–2415 /14-1 दिनांक:08/05/2017

सेवा में,

वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी,
बरेली वृत्त,बरेली।

<u>विषय –</u> **<u>जनपद बदायूँ में पीलीभीत बरेली मथुरा भरतपुर मार्ग (राज्य मार्ग संख्या–33) के किमी 102.115 से 131.00 तक दो लेन विद पेब्ड सोल्डर चौडीकरण एवं सुदृढीकरण (मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा की गयी घोषणा के अनुसार किमी0 102.115 से 114.200 तक मार्ग के चारलेन चौडीकरण एवं सुदृढीकरण को सम्मिलित करते हुए के 13.29 हे0 सरंक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 2604 वृक्षों के पातन की अनुमति।</u>**

<u>संदर्भ –</u> <u>मुख्य वन सरंक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ का पत्रांक–2162/बदायू/23699/2017, दिनांक 21.04.2017</u>

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के द्वारा Proposal No. fp/up/Road/23699/2017 की ऑन लाइन फिडिंग की गयी थी, तथा प्रस्ताव की चार मूल प्रतियां भी प्रेषित की गयी थीं जिसमें मुख्य वन सरंक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा प्रस्ताव में कुल 17 आपत्तियां लगायी थी जिनका निस्तारण क्रमवार निम्नलिखित हैं–

1. प्रस्तावित स्थल चिन्हित टोपोशीट पर प्रभागीय निदेशक के हस्ताक्षर अंकित करा दिये गये हैं।
2. प्रस्ताव के साथ संलग्न गणना के अनुसार प्रस्तावितं वनभूमि व क्षेत्रफल 13.29 हे0 ही है। ऑन लाइन एवं ऑफ लाइन में भिन्नता थी जो सही 13.29 हे0 अंकित कर दी गयी है (प्रस्ताव पेज नं0–16,17,18)।
3. विषयगत प्रस्ताव के चैनेज किमी0 102.115 से 131.00 तक स्वीकृति प्राप्त है जिसके चैनेज किमी0 102.115 से 114.200 तक चारलेन की स्वीकृति मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा की घोषणा के द्वारा प्राप्त हैं। अत: चैनेज किमी0 102.115 से 114.200 तक ही दोनो ओर बाधक वृक्षों के पातन का कार्य कराया जाना प्रस्तावित है जिसकी स्वीकृति अपेक्षित हैं।
4. प्रस्ताव के साथ संलग्न बाधक 2604 वृक्षों की सूची के समस्त पृष्ठों पर प्रभागीय निदेशक के हस्ताक्षर करा दिये गये हैं।
5. परियोजना की स्वीकृति की सत्यापित प्रति संलग्न कर दी गयी हैं।
6. क्षतिपूरक वनीकरण हेतु दोगुने अवनत वनभूमि पर रोपण के प्राक्कलन में 10 वर्ष के अनुरक्षण की अनुमानित वृद्धि का समावेश कर दिया गया हैं।
7. प्रस्ताव के पृष्ठ 24 पर संलग्न एन0पी0वी0 की वचनबृद्धता स्वीकार है यदि एन0पी0वी0 की दरों में कोई बढोतरी होती है वह भी स्वीकार्य होगी।
8. प्रस्ताव वनभूमि एन0पी0वी0 की वचनबृद्धता त्रुटिपूर्ण दर से संलग्न की गयी थी जो सही दर से ईको क्लास एवं वसनस्पतिक घनत्व के आधार पर गणना कर दी गयी हैं।

9. वनधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत जिलाधिकारी के प्रमाण–पत्र में पंत्राक एवं दिनांक अंकित कर दिया गया हैं एवं सील लगा दी गयी हैं।

10. प्रस्तावित स्थल के डिजिटल मैप पर अधिशासी अभियन्ता के सील सहित मूल हस्ताक्षर अंकित करा दिये गये हैं एवं केएमएल फाईल संलग्न कर दी गयी हैं।

11. ऑनलाइन पार्ट–I के बिन्दु बी–2.3 पर प्रस्ताव वनभूमि का ग्रामवार विवरण अपलोड करा दिया गया हैं।

12. ऑनलाइन पार्ट–I एवं ऑफलाइन पार्ट–I में अंकित सूचना में किमी0 चैनेज अपेक्षित वनभूमि का क्षेत्रफल परियोजना की लागत पर्यावर्णीय स्वीकृति की आवश्यकता आदि सूचनाओं को सही कर दिया गया हैं।

13. ऑनलाइन पार्ट–II प्रभागीय निदेशक/वन सरंक्षक द्वारा हस्ताक्षर करा दिये गये हैं।

14. ऑफलाइन पार्ट–II में अंकित वनस्पति घनत्व ऑनलाइन पार्ट–II में अंकित घनत्व के समान करा दिया गया हैं।

15. ऑफलाइन पार्ट–II के बिन्दु 10(I) पर अंकित सूचना सही करा दी गयी हैं। क्षतिपूरक वृक्षोरोपण दुगुने अवनत वनभूमि पर प्रस्तावित है। बिन्दु 10 से 12 तक सभी सूचनाएं सही करा दी गयी है।

16. ऑफलाइन पार्ट–II के बिन्दु 13 पर बाधक वृक्षों की संख्या अंकित कराकर प्रभागीय निदेशक के हस्ताक्षर करा दिये गये हैं।

17. उपरोक्त सूचनाओं को पूर्ण कर प्रस्ताव पर पृष्ठ संख्या एवं विषयसूची को भी अपडेट करा दिया गया है।

भवदीय

(समीर कुमार)
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,बदायूँ